

15/10/19

पवावली पत्रे ईई । वकील अपीलान्ट
मूल-चदगी चौधरी द्वारा इस्तुम्मा की
कि अपीलान्ट (अपीलान्ट) वाद/का भागे
नहीं चलना चाहते हैं अतः "Not proceed"
की अनुमति दी जावे।

अपीलान्ट अपिक्मसा द्वारा
की गई इस्तुम्मा पर मान्य किया गया ।
न्यायालय यह उचित समझता है कि
अपील/वाद को इसी स्तर पर 'Not proceed' के
आधार पर खारिज किया जाना है।
पवावली इस्तुम्मा हो कर तदनील

not proceed -
Moolchand
15-10-19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मिहडाए देव (अ. प्रजा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	से इज होर रफ्तार दाफिले सी. जागे ३२	